GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B dated 08.03.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "30.04.2018", the expression "30.06.2020" shall be substituted.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B1]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby,-

(i) exempts from payment of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, penalty and interest, if any, payable on destroyed vehicles if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable upto the date on which vehicle was destroyed, is deposited on or before 30.09.2018;

(ii) exempts from payment of penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge upto 31.03.2016 on vehicle other than the destroyed vehicles, if,-

(a) penalty and interest, if any, due after 01.04.2016 on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 30.09.2018; and

(b) any due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 30.09.2018.

(iii) exempts from payment of penalty and interest payable on One Time Tax and Surcharge upto 31.01.2018 on non-transport vehicles registered outside the State and brought into the State for use exceeding thirty days, if one time tax and surcharge due upto 31.01.2018 is deposited on or before 30.09.2018.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

(i) The vehicle owner may apply before the Taxation Officer for the exemption.
(ii) The Taxation Officer shall calculate the tax and shall issue demand notice.
(iii) The Registration Certificate of destroyed vehicles shall be cancelled by the Registering Authority.
(iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.
(v) If any dispute arises regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby, exempts 25% of lump sum tax payable under section 4-C of the said Act on the public service vehicles registered in the State on or after 12.02.2018 that are driven solely by Liquefied Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG) or Solar Energy and originally manufactured by the vehicle manufacturers as such.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/2]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22C dated 14.07.2014, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification,-

(i) against serial number 3, for the existing item (1) and (2) in column 2 and entries thereto in column 2 and 3, the following shall be substituted, namely:-

"

(1) Articulated Vehicle	10% of the cost of vehicle
(2) Other than Articulated Vehicle	
(a) Three wheeled vehicles	9% of the cost of chassis/vehicle
(b) Four wheeled vehicle having G.V.W. upto 3000 kg.	10% of the cost of chassis/vehicle
(c) Four wheeled vehicles having GVW more than 3000 kg and upto 16500 kg .	11% of the cost of chassis/vehicle
(d) Four wheeled vehicles having GVW more than 16500 kg.	10% of the cost of chassis/vehicle

"; and

(ii) after the existing serial number 6 and entries thereto, the following new serial number 7 and entries thereto shall be added, namely:-

"

7.	Passenger Vehicles with seating capacity above 12 seats excluding driver used exclusively in the closed premises of Airports.	
	(a) Purchased as a chassis.	10% of the cost of chassis
	(b) Purchased with the body	6% of the cost of vehicle

"

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22F]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, makes the following amendment in this department's notification number F.6(261)/Pari/tax/HQ/2004/21 dated 22.09.2004, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing TABLE shall be substituted by the following, namely:-

"TABLE

S. No.	Description of class of Motor Vehicle	Monthly rate of Special Road Tax
1	2	3
1	Stage Carriage plying on rural routes.	
	(a) Distance required to be covered by the service in a day upto 200 km.	
	(i) Purchased as a chassis.	0.2% of the cost of the chassis
	(ii) Purchased with complete body.	0.16% of the cost of the vehicle
	(b) Distance required to be covered by the service in a day exceeds 200 km. but does not exceeds 400 km.	
	(i) Purchased as a chassis.	0.25% of the cost of the chassis
	(ii) Purchased with complete body.	0.21% of the cost of the vehicle
	(c) Distance required to be covered by the service in a day exceeds 400 km.	
	(i) Purchased as a chassis.	0.3% of the cost of the chassis
	(ii) Purchased with complete body.	0.26% of the cost of the vehicle

"

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/21A]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27बी दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "30.04.2018" के स्थान पर अभिव्यक्ति "30.06.2020" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27बी1]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

(i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, के संदाय से छूट देती है यदि यान के नष्ट होने की तारीख तक संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार दिनांक 30.09.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;

(ii) नष्ट हो चुके यानों से भिन्न यानों पर 31.03.2016 तक मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज के संदाय से छूट देती है, यदि,-

(क) मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर 01.04.2016 के पश्चात् शोध्य शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, 30.09.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(ख) कोई शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 30.09.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

(iii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और तीस दिन से अधिक के उपयोग के लिए राज्य में लाये गये गैर-परिवहन यानों पर 31.01.2018 तक एकबारीय कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज से छूट देती है, यदि दिनांक 31.01.2018 तक शोध्य एक बारीय कर और अधिभार दिनांक 30.9.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-

(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

(ii) कराधान अधिकारी कर की संगणना करेगा और मांग नोटिस जारी करेगा।

(iii) नष्ट हो चुके यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जायेगा।

(iv) पूर्व में संदत्त अधिभार, शास्ति या ब्याज को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की रकम, यदि कोई हो, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(v) यदि छूट के संबंध में कोई विवाद प्रोद्भूत होता है तो परिवहन आयुक्त का विनिश्चिय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरणः यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में दिनांक 12.02.2018 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत ऐसे लोक सेवा यान, जो केवल लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (एलपीजी), कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) या सौर ऊर्जा द्वारा चालित हैं और इसी रूप में मूल रूप से यान विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन संदेय एकमुश्त कर के 25 प्रतिशत की, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/2]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(261)परि/टैक्स/एचक्यू/2004/21 दिनांक 22.09.2004 में तुरंत प्रभाव से, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''सारणी

क्र. सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1	2	3
1	ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियां।	
	(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. तक हो।	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 0.2 प्रतिशत
	(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 0.16 प्रतिशत
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अधिक न हो।	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 0.25 प्रतिशत
	(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 0.21 प्रतिशत
	(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 कि.मी. से अधिक हो।	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 0.3 प्रतिशत
	(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 0.26 प्रतिशत ''

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/21ए]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.07.2014 में तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तम्भ 2 में, विद्यमान मद (1) और (2) और स्तम्भ 2 और 3 में उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

(1) संलग्न यान	यान की लागत का 10 प्रतिशत
(2) संलग्न यान से भिन्न	
(क) तिपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 9 प्रतिशत
(ख) 3000 किग्रा तक सकल यान भार वाले चौपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 10 प्रतिशत
(ग) 3000 किग्रा से अधिक तथा 16500 किग्रा तक सकल यान भार वाले चौपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 11 प्रतिशत
(घ) 16500 किग्रा से अधिक सकल यान भार वाले चौपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 10 प्रतिशत

";और

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

"

7.	ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 12 सीट से अधिक बैठक क्षमता वाले विमानपत्तन के बंद परिसरों में अनन्य रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले परिवहन यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 10 प्रतिशत

	(ख) बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 6 प्रतिशत

,,

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22एफ]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव